180/2023

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/01/2024 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी अनु०। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन कीया कि विप्रार्थी लम्बे समय से बावजूद तामील नोटिस तामील उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही जारी कर बहस सुनी जावें। विप्रार्थी तीन माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही जारी की जाकर बहस सुनी गई और [illegible] पर मौजूद पश्चात पाया कि प्रार्थी आवेदन स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कीया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया और अपील निर्णय कीया गया। पत्रावली फैसल करार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.03.03 13:46:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 180 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 284

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.बादरराम पुत्र वजाराम 2.अणसीदेवी पत्नी पोकरराम 3.अर्जुनराम पुत्र पोकरराम 4.उकाराम पुत्र डूंगराराम 5.खेताराम पुत्र रामाराम 6.गुलाबी पत्नी चेनाराम 7.पेमाराम पुत्र रामाराम 8.पारसराम पुत्र रामाराम 9.बाबुराम पुत्र रामाराम 10.गुस्समात चनणो पत्नी डूंगराराम 11.बस्ताराम पुत्र रामाराम जाति मेघवाल निवासी सरवड़ी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री बाबुलाल साखंला,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2.विप्रार्थी एकपक्षीय ।

आदेश

दिनांक 16.01.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:46:23 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त [illegible]दारी [illegible] ग्राम सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 101,482,[illegible] कुल [illegible] खसरा संख्या 80 क्षेत्रफल 3.6422 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी बादरराम के पिता का नाम बाजीराम अशुद्व इन्द्राज हो रखा है,जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम वजा[illegible] है। लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रही है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर प्रविष्टि बादरराम पुत्र बीजाराम के स्थान पर बादरराम पुत्र वजाराम दुरुस्त करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी का जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रार्थी पक्ष की ओर से साक्ष्य में स्वंय बादरराम व स्वतंत्र गवाहान उकाराम के बयानात कलमबद्ध करवाई गई।

4.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सरवडी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 101,482,483 कुल क्षेत्रफल 16.5759 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 80 क्षेत्रफल 3.8422 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी बादरराम के पिता का नाम बाजीराम अशुद्ध दर्ज हो रखा है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी बादरराम के पिता का वास्तविक नाम वजाराम दर्ज है,लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी के पिता वजाराम का अशुद्ध नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नही हो रहा है। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के अलावा अन्य प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम सरवडी की खसरा संख्या 519,520 व 521 में प्रार्थी के पिता का सही नाम वजाराम दर्ज है। लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी बादरराम के पिता का गलत नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में प्रार्थी बादरराम पुत्र बाजीराम के स्थान पर बादरराम पुत्र वजाराम दुरुस्त किए जाने के आदेश फरमाये जावें।

5.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड ,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम ग्राम सरवडी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 101,482,483 कुल क्षेत्रफल 16.5759 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 80 क्षेत्रफल 3.8422 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी बादरराम पुत्र बीजाराम की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि में प्रार्थी बादरराम अपने पता का नाम बाजीराम के स्थान वजाराम दुरुस्त करवाना चाहता है। विवादित भूमि के अलावा अन्य प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरान संख्या 519,520 व 521 में प्रार्थी के [illegible] रखा है,जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी बादरराम के पिता वजा[illegible] अशुद्ध इन्द्राज हो रखा है,जो प्रार्थी दुरुस्त करवाने का हकद[illegible] यथा–आधारकार्ड,परिवार राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक डायरी में प्रार्थी के पिता का नाम वजाराम अंकन है एवं ग्राम पंचायत सरवडी पंचायत समिति कल्याणपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर भी पुष्टि होती है कि प्रार्थी बादरराम के पिता का सही नाम वजाराम है तथा बयानात से भी स्पष्ट

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kum
Date: 2024.03.03 13:46:23 IST
Reason: SelfAttested

होता है कि प्रार्थी बादरराम के पिता की सही वजाराम है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी बादरराम विवादित भूमि में अपनें पिता का वास्तविक नाम वजाराम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 101,482,483 कुल क्षेत्रफल 16.5759 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 80 क्षेत्रफल 3.6422 हैक्टयर भूमि में बादरराम पुत्र बाजीराम के स्थान पर बादरराम पुत्र वजाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.03.03 13:46:23 IST
Reason: SelfAttested